an>

Title: Introduction of the Drought Affected And Drought Prone Areas (Special Provisions) Bill, 2015. (motion adopted)

श्री निशिकान्त दुबे **(गोड्डा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ सरकार द्वारा देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि कार्य योजना के रूप में मानव उपयोग के लिए खाद्य और पेयजल तथा किसानों के मवेशियों के लिए चारे की आपूर्ति अनिवार्य रूप से बनाए रखने, देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की नष्ट हुई फसलों के लिए संघ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जैसे विशेष प्रावधानों के लिए और झील, तालाब, कुएं जैसे जल स्रोतों के निर्माण, वर्षा जल संचयन, पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलों का पानी की कम जरूरत रखने वाली फसलों के रूप में विविधीकरण, सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम इत्यादि तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the special provisions such as compulsory maintenance of food and potable water supplies for human consumption and fodder for livestock of the farmers, financial assistance for lost crops to farmers in drought affected areas of the country; creation of water bodies like lakes, ponds, wells, rainwater harvesting, diversification of water intensive crops to low water intensive requirement crops, community afforestation programmes and other action plan for the drought prone areas of the country and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे**:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

<u>15.50 hrs</u>